न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद संख्या 08 / 2015

जेठू पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी चांदमा तहसील टांटोटी जिला अजमेर।

——अपीलांट

बनाम

1.श्रीमती कंचन देवी पत्नी भीमसिंह जाति महाजन
2.गोतम पुत्र भीमसिंह जाति महाजन
3.संजय पुत्र भीमसिंह जाति महाजन
4.सीमा पुत्री भीमसिंह जाति महाजन
5.इन्द्रा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति महाजन
6.अक्षित उर्फ अभिषेक नाबालिग पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति महाजन
7.आशिफ नाबालिग पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति महाजन
8.आयुषी नाबालिग पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति महाजन
जाति महाजन प्रतिवादी संख्या 6,7,8 नाबालिग जरिये कुदरती वालिया व संरक्षिका माता श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति महाजन
9.मनोहरसिंह पुत्र तेजमल जाति महाजन
10.शान्तिलाल पुत्र तेजमल जाति महाजन
11.हेमराज पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार
12.सुवाराम पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार
समस्त निवासीगण चांदमा तहसील टांटोटी जिला अजमेर हाल निवासी काबरा मेन्सन के पीछे चांदमा वाला का मकान,गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा।
13.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टांटोटी जिला अजमेर।
14.पटवारी,पटवार हल्का चांदमा तहसील टांटोटी जिला अजमेर।

—— रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरण संख्या 4 दिनॉक 14.01.1962 जिसके तहत अपीलान्ट के बड़े पिता की भूमि बिना किसी आधार के रेस्पोडेण्ट संख्या 1लगायत 10 के पूर्वज तेजमल के नाम ग्राम पंचायत जोतायां के द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थित :- श्री सज्जन कुमार चौधरी–वकील अपीलांट
श्री शैलेन्द्र कुमार जैन–वकील रेस्पोडेण्ट

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट के बड़े पिता मांगू पुत्र बालू बैरवा(चमार)के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम चांदमा वर्तमान टांटोटी पूर्व तहसील सरवाड़ के तन मे स्थित निम्न वर्णित आराजीयात हैः-

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
117	03.05.10	चा03
118	01.17.10	चा01
119	01.02.10	चा01
120	00.08.10	चा03
193	01.19.00	ता01

मांगू पुत्र बालू बैरवा की मृत्यु हो चुकी है,एवं उसके जायन्दा कोई पुत्र संतान नहीं होने से उन्होने अपीलांट को अपने जीवनकाल मे जाति रश्म रिवाज अनुसार अपना वारिस मानकर उसके पगड़ी का दस्तूर करवाया तथा अपीलांट ही मांगू का वारिस काबिज जायदाद है। एवम् कानून वारिस है। मॉगू की मृत्यु पश्चात मांगू की अन्य आराजीयात तो अपीलांट के नाम दर्ज हो गयी किन्तु उपरोक्त आराजी अपीलांट के नाम दर्ज न होकर रेस्पोडेण्ट के पूर्वज तेजमल पुत्र छगनलाल महाजन निवासी चॉदमा के नाम नामान्तरण संख्या 4 दिनांक 14.01.1962 के जरिये तब्दील काश्त स्वीकृत किया जिसके आधार पर उक्त आराजी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 10 के पूर्वज के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गयी जो वर्तमान मे रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज है। जिससे असन्तुष्ठ होकर अपील प्रस्तुत की है कि नामान्तकरण शुन्य,गलत व विधि विपरीत है। कानूनन कब्जे काश्त तब्दील का कोई नामान्तरकरण भरा नहीं जा सकता है। अपीलांण्ट गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवंम् रेस्पोडेण्ट स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन कानूनन स्वर्ण जाति के नाम नहीं हो सकती है। अपीलाण्ट के बड़े पिता मांगू के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण पत्र/विक्रयपत्र/ दानपत्र रेस्पोडेण्ट के पूर्वज तेजमल पुत्र छगनलाल महाजन के नाम निष्पादित नहीं करवाया गया। कानूनन किसी भी खातेदार की भूमि बिना किसी विधि सम्मत दस्तावेज के अन्तरित नहीं हो सकती है। हस्तगत प्रकरण मे ग्राम पंचायत जोतायां द्वारा बिना किसी विधि संगत दस्तावेज व आधार के काश्त तब्दील का नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो गलत है। तथा कालान्तर मे उक्त आराजी तेजमल की मृत्यु हो जाने से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 10 के नाम खातेदारी हक से उक्त अवैध नामान्तरकरण के आधार पर दर्ज हो गयी जो गलत है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 10 ने अपने नाजायज फायदे के लिए किसी प्रकार का उक्त आराजी बाबत हक अधिकार नहीं होते हुए भी रेस्पोडेण्ट संख्या 11 व 12 के नाम विक्रय पत्र दिनांक 07.10.2014 व 12.11.2014 को निष्पादित करवा दिया जो कतई गलत है। रेस्पोडेण्ट संख्या 11 व 12 दिनांक 19.05.15 सें अपीलांण्ट को अन्य रेस्पोडेण्ट के सहयोग से परेशान कर रहे है जिस बाबत् अपीलाण्ट राजस्व कैम्प जोताया दिनांक 12.06.15 मे अपनी शिकायत लेकर राजस्व प्रकरण मे उपस्थित हुआ तो रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त आराजी बाबत् जरिये नामान्तरकरण

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

द्वारा हस्तान्तरित होना बताया गया। उक्त नामान्तरकरण बाबत जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 12.06.2015को ग्राम जोताया मे राजस्व शिविर मे रेस्पोडेण्ट द्वारा कथित करने से जानकारी हुई। तत्पश्चात जानकारी कर तत्काल उसकी नकल ली जाकर अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र संलग्न है। अपील अपीलांण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम चॉदमा का नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 14.01.1962 खारिज किये जाने तथा इस आधार पर रेस्पोडेण्ट के नाम राजस्व अभिलेख मे की गयी प्रविष्टियॉ विलोपित कर अपीलाण्ट के हक मे नामान्तकरण स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है तथा इस बाबत रेस्पोडेण्ट संख्या 13 को आदेश दिया जाने की प्रार्थना की कि वह राजस्व रेकार्ड मे रेस्पोडेण्ट का नाम विलोपित कर उक्त आराजी अपीलाण्ट के नाम खातेदारी से दर्ज करे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। जिसमे दिनांक 14.01.62 से 11.06.15 तक की डिले कन्डोन करने की प्रार्थना की। जिस पर प्रत्यर्थी के आपत्ति अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अपील श्रवणार्थ स्वीकार की जाकर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गए। प्रत्यर्थी को नोटिस तामिल नहीं हुए है। किन्तु इन्ही पक्षकारान् के मध्य इन्ही खसरा नम्बरान् को लेकर एक वाद अतंर्गत धारा 88,89,92ए,188,209राज0काश्त अधिनियम का विचाराधीन है जिसमे प्रतिवादीगण की और से श्री शैलेन्द्र जैन अभिभाषक के रूप मे नियुक्त है। उन्हे तलब किया जाकर प्रस्तुत प्रकरण की जानकारी दी गई तो श्री जैन ने अपील मे प्रस्तुत होकर रेस्पोडेण्ट की तरफ से पैरवी करना स्वीकार किया तथा बताया कि समान पक्षकारान का एक ही जायदाद के प्रकरण मे अलग अलग वकालतनामा देने की आवश्यकता नहीं है। वाद संख्या 109/2014 मे वकालतनामा प्रस्तुत किया हुआ है। अतः प्रस्तुत अपील मे भी उन्हे बहस करने की अनुमति दी जावे। अपीलाण्ट के अभिभाषक की भी इसमे सहमति है। कानूनी प्रावधान के मध्यनजर श्री जैन को बहस की अनुमति दी जाकर पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट के लायक वकील श्री सज्जन कुमार चौधरी ने अपील बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि मूलतः अपील मे वर्णित आराजी मांगू वल्द बालू चमार की खातेदारी की थी। अपीलाण्ट को अपने जीवन काल मे जाति रश्म रिवाज अनुसार अपना वारिस मानकर उसके पगड़ी दस्तूर करवाया है तथा अपीलांट ही मांगू का वारिस काबिज जायदाद एवं कानूनन वारिस है। मॉगू की मृत्यु पश्चात विरासत से मॅागू की अन्य आराजीयात तो अपीलांण्ट के नाम दर्ज हो गयी किन्तु उपरोक्त आराजी अपीलांण्ट के नाम न होकर रेस्पोडेण्ट के पूर्वज तेजमल पुत्र छगनलाल महाजन निवासी चांदमा के नाम नामान्तरण संख्या 4 दिनांक 14.01.1962 के जरिये तब्दील काश्त स्वीकृत किया गया जिसके आधार पर उक्त आराजी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 10 के पूर्वज के नाम दर्ज हो गयी है। जो वर्तमान मे रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज है। मॉगू पुत्र बालू चमार अनुसूचित जाति का व्यक्ति था उसकी जमीन तेजमल पुत्र छगनलाल महाजन जो कि स्वर्ण जाति के नाम कानूनन नहीं हो सकती है। तथा तब्दील काश्त का नामान्तकरण जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतःप्रश्नगत नामा0 निरस्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त 2012(3)DNJ Raj P.1569,

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner

2013(Rev)DNJ Raj P.37,2013(Rev)DNJ Raj P.66 2013(3)DNJ Raj P.1409,2013(1)DNJ Raj P.183, 2011(2)DNJ Raj P.587, 2011(2)DNJ Raj P.543, 2011(3)DNJ Raj P.1261, 2016(Rev)DNJ Raj P.105,2016(Rev)DNJ Raj P.1021 प्रस्तुत किये,हस्तगत प्रकरण के दृष्टिगत इनका ससम्मान अध्ययन किया गया तथा प्रर्याप्त रोशनी ग्रहण की।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक श्री शैलेन्द्र जैन ने बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णित आराजीयात का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 10 के द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 11 व 12 क्रमशः श्री सुवालाल ,हेमराज पिता फूलाराम कुम्हार निवासी चांदमा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दिया है जिसका पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय टांटोटी से उक्त व्यक्तियों के पक्ष मे किया जा चुका है। जिसका नामा0 भी उक्त व्यक्तियों के पक्ष मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो चुका है। अपीलाण्ट गणेश का पुत्र है तथा स्वर्गीय मांगू का किसी भी प्रकार से दत्तक पुत्र नहीं है। स्वर्गीय मांगू की मृत्यु के पश्चात आराजीयात मॉगू की पत्नी केली के नाम बतौर खातेदारी मे दर्ज हुआ है। यदि अपीलाण्ट स्वर्गीय मांगू का दत्तक पुत्र होता तो निश्चित रूप से कैली के साथ उसका नाम भी दर्ज किया जाता। मॉगू पुत्र बालू ने अपीलाण्ट को अपने जीवनकाल मे ही जाति रश्म रिवाज अनुसार अपना वारिस मानकर उसके पगड़ी दस्तूर करवाया था तो मॉगू की मृत्यु के बाद हुए नामा0 मे केली पत्नी मॉगू के साथ ही अपीलाण्ट का नाम भी मॉगू की आराजीयात मे विरासत से दर्ज होता। मात्र पगड़ी बॉध लेने से ही कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। अपीलाण्ट स्वर्गीय मॉगू पुत्र बालू चमार साकिन चॉदमा की आराजीयात मे मॉगू की पत्नी केली बेवा मॉगू कौम चमार की मृत्यु के बाद विरासत नामा0 संख्या 322 दिनॉक 16.12.96 के बाद प्रविष्ट होता है। दिनांक 16.12.96 से पूर्व अपीलाण्ट की हैसियत मॉगू पुत्र बालू तथा उसके बाद केली बेवा मॉगू की आराजीयात मे एक अजनबी व्यक्ति के समान थी। अतः इन आराजीयात मे पूर्व मे हुए स्थानान्तरण,नामान्तरकरण की वैधता पर प्रश्न उठाने का अधिकार अपीलाण्ट को नहीं है। मॉगू वल्द बालू चमार की मृत्यु के बाद उसकी आराजीयात विरासतन मृतक की बेवा केली के नाम दर्ज हुई है यदि अपीलाण्ट के कथनानुसार वह मॉगू का वारिस होता तो केली के साथ दत्तक पुत्र के रूप मे उसका भी नाम दर्ज होता,इससे यह साबित होता है कि अपीलाण्ट स्वर्गीय मांगू का दत्तक पुत्र व वारिस काबिज जायदाद नहीं है। इसलिए अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। अतः उक्त अपील को इस बिना पर ही खारिज किया जाना न्यायहित मे उचित एवं आवश्यक है। अपीलार्थी की अपील पोषणीयता नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

मैने वकील पक्षकारान् की बहस पर गौर किया। पत्रावली का समग्र रूप अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी संवत् 2015–18 की जमाबंदी मे मांगू वल्द बालू चमार की खातेदारी मे दर्ज थी किन्तु तेजमल वल्द छगनलाल जाति महाजन की खातेदारी मे दर्ज हो गयी। श्री शैलेन्द्र जैन वकील रेस्पोडेण्ट के इस तर्क मे अवश्य बल है कि यदि अपीलार्थी मॉगू का दत्तक पुत्र होता तो उसका नाम मु0 केली के

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

साथ मॉगू के दत्तक पुत्र के रूप मे दर्ज होता,अपीलार्थी को मांगू ने दत्तक पुत्र के रूप मे ग्रहण किया हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है केवल अपील मे अभिवचन लिया है है उसके आधार पर अपीलार्थी को मॉगू का दत्तक पुत्र नही माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 10द्वारा आराजी अपीलाधीन का बेचान कर दिया है तथा क्रेतागण प्रत्यर्थी संख्या 11 व 12 के पक्ष में नामा0 संख्या 881,882,889 दिनांक 20.10.14 व 5.12.14 से खुलना बताया गया है। अपीलाण्ट स्वर्गीय माँगू पुत्र बालू चमार साकिन चाँदमा की आराजीयात में उसकी बेवा मु0 केली बेवा माँगू कौम चमार की मृत्यु के बाद विरासत नामा0 संख्या 322 दिनांक 16.12.96 के बाद प्रविष्ट हुआ है। अतः अपीलार्थी को पूर्व मे किये गये रद्धोबदल को निरस्त करवाने हेतु अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरण संख्या 4 दिनांक 14.1.1962 पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, किन्तु दौराने बहस यह तथ्य जानकारी मे वकील अपीलाण्ड द्वारा लाया गया है कि नामा0 संख्या 4 दिनांक 14.01.1962 काश्त तब्दील के आधार पर किया गया है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजीयात स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज की गई है तो यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टांटोटी इस प्रकरण में प्रत्यर्थी है अतः वे प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 14.01.1962 की तृत जाँच करे तथा स्वीकृत करने में विधिक एवं कानूनन त्रुटि हो तो भली भांति जाँच के पश्चात सक्षम न्यायालय मे रेफरेन्स की कार्यवाही कर रेकार्ड को सही करावे तथा भूमिधारी के रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे।

अपील का खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ सूरज सिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सरवाड़

Scanned by CamScanner